

न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त, भरतपुर

पीठासीन अधिकारी:- श्री अखिलेश कुमार पिपल आर.ए.एस.

अपील संख्या:- 20/2022 (GCMS No. 2022/22) (धारा 76 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956)

1. सुरेन्द्र पुत्र बीरेन्द्र जाति ठाकुर उम्र करीब 53 वर्ष निवासी नगला वीधौरा तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....अपीलान्त

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये जिला कलक्टर, धौलपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये नायब तहसीलदार कंचनपुर तहसील बाडी जिला धौलपुर।

.....रैस्पोंडेंट



अपील विरुद्ध निर्णय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 08.08.2019 मुकदमा नं. 16/19 उनवानी सुरेन्द्र बनाम सरकार एवं निर्णय नायब तहसीलदार कंचनपुर दिनांक 19.02.2019 प्रकरण संख्या 150/19 उनवानी सरकार बनाम सुरेन्द्र।

उपस्थिति:-

1. श्री रामअवतार गौड, वकील अपीलान्त
2. राजकीय अभिभाषक, वकील रैस्पोंडेंट

निर्णय

दिनांक : 22.06.2023

1. यह अपील भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत आदेश जिला कलक्टर धौलपुर के आदेश दिनांक 08.08.2019 एवं नायब तहसीलदार कंचनपुर के आदेश दिनांक 19.02.2019 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि अधीनस्थ अधिकारी नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा अपीलान्त को आराजी खसरा नम्बर 292 रकवा 84 बीघा 2 विस्वा बाके ग्राम नगला वीधौरा तहसील बाडी की उप तहसील कंचनपुर में से रकवा 2 बीघा 6 विस्वा पर अतिचार.

  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
भरतपुर

मानकर एक माह के सिविल कारावास तथा 518 रूपये की पैनल्टी अधिरोपित करने का आदेश दिनांक 19.02.2019 को पारित किया है जिसके विरुद्ध अपीलान्त द्वारा अपील न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर में प्रस्तुत की, जो अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर ने बिना किसी समुचित कारण के दिनांक 08.08.2019 को खारिज कर दिया। जिनके विरुद्ध यह अपील प्रस्तुत की गई है।

2. अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोंडेंट को जरिये नोटिस तलब किया गया व तहत न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। रेस्पोंडेंट्स की ओर से राजकीय अभिभाषक उपस्थित। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. दौराने बहस विद्वान वकील अपीलान्त द्वारा अपील मीमो के कथनों को दोहराते हुये कथन किया कि अपीलाधीन आदेश से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा इस तथ्य पर गौर नहीं किया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर के समक्ष अपीलान्त को किसी प्रकार सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान नहीं किया। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर द्वारा पारित निर्णय न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर द्वारा किसी प्रकार प्रार्थी/अपीलान्त की अपील मीमो पर कतई गौर नहीं किया गया। अपीलान्त स्पष्ट तौर पर अपनी अपील में यह कहकर आया है कि अपीलान्त का कोई कब्जा नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर एक माह के सिविल कारावास से दंडित किये जाने का कठोर आदेश पारित किया है जबकि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्त के विरुद्ध ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं आया। जिससे यह प्रतीत होता हो कि विवादित आराजी पर भी कब्जा रहा हो या किसी आदेश के तहत अपीलान्त को विवादित आराजी से वेदखल किया हो। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अपीलान्त को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर बहुत बड़ी कानूनी वाक्याती भूल की है। अपीलान्त ने प्रकरण में समुचित पैरवी हेतु श्री रनवीर सिंह परमार एडवोकेट पूरी तय शुदा फीस देकर नियुक्त किया था जबकि वकील सहाब ने मुझ अपीलान्त को पूर्ण आश्वत किया कि तुम्हारी अपील मैंने प्रस्तुत कर दी है तुम्हारी जरूरत होगी तब बुला लूंगा। अपीलान्त इस विश्वास में रहा कि आवश्यकता पडने पर वकील सहाब अपने आप बुला लेंगे। चूँकि दिनांक 07.03.2022 को अपीलान्त अपने अन्य काम से कचहरी धौलपुर आया तथा वकील सहाब से सम्पर्क किया तब बताया कि तुम्हारा केस तो 2019 में ही खारिज हो गया। तत्पश्चात अपीलान्त ने अपीलाधीन निर्णयों की नकल हेतु प्रार्थना पत्र सक्षम अधिकारी के यहाँ दिनांक 09.03.2022 को प्रस्तुत किया जिसकी नकल अपीलान्त को दिनांक 11.03.2022 को प्राप्त हुई। अपीलान्त रूपये पैसों का इन्तजाम ज्ञान के अन्दर अवधि अपील प्रस्तुत






की है। अपील प्रस्तुत करने में जो देरी हुई है उसमें अपीलान्त की कोई गफलत या लापरवाही नहीं है बल्कि वकील ने समय पर अपीलान्त को सूचना प्रदान नहीं की जिसके लिए अपीलान्त को दण्डित नहीं किया जा सकता है। अपीलान्त द्वारा मौके से कब्जा हटा लिया गया है। अतः नरम रूख अपनाते हुये सजा को माफ किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर के समक्ष कब्जा हटा लेने का शपथ पत्र पेश कर दिया जावेगा। अतः अपील अपीलान्त स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय नायब तहसीलदार कंचनपुर दिनांक 19.02.2019 व न्यायालय जिला कलक्टर धौलपुर दिनांक 08.08.2019 को निरस्त फरमाया जावे।

4. राजकीय अभिभाषक द्वारा बहस के दौरान कथन किया कि अपीलान्त विवादित आराजी पर बार-बार अतिक्रमण करते हैं। पश्चातवर्ती अतिक्रमण की पुष्टि पटवारी हल्का की रिपोर्ट व बयान व घटना वही से भी होती है। बावजूद नोटिस तामील अपीलान्त अधीनस्थ न्यायालय में निर्णय दिनांक तक उपस्थित नहीं हुए। विवादित आराजी पर यदि अपीलान्त का कब्जा नहीं था, तो उनके द्वारा जुर्माना राशि क्यों अदा की गई। अपील अपीलान्त बिना उचित कारण के मियाद बाहर भी पेश की है। अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा बाद परीक्षण पूर्ण न्यायिक प्रक्रिया अपनाते हुये विधिवत अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है। जिनमें किसी प्रकार के कोई हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रहती है। अतः अपील अपीलान्त खारिज की जाकर अधीनस्थ न्यायालयों का निर्णय बहाल रखा जावे।
5. बहस उभयपक्ष पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट है कि अपीलाधीन आदेश प्रथम अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 08.08.2019 को पारित किया गया, जिसके विरुद्ध दिनांक 11.03.2022 को न्यायालय हाजा में द्वितीय अपील पेश की गई। अपीलान्त ने अपील मीमो के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 5 मियाद अधिनियम मय शपथ पत्र पेश किया है, जिसमें अपीलान्त के अधिवक्ता के द्वारा गलत तथ्यों के कारण अपील में देरी होने का उल्लेख किया है। न्यायालय के मत में प्रार्थना पत्र पर उल्लेखित तथ्यों से देरी किये जाने का पर्याप्त आधार है। तदनुसार अपील प्रस्तुत करने में हुये बिलम्ब को कन्डोन किया जाता है। अपीलान्त द्वारा अपने तर्कों में मुख्य कथन यह किया कि अपीलान्त विवादित आराजी पर पश्चातवर्ती अतिक्रमी के रूप में काबिज नहीं है। महज पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर ही पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर कानूनी भूल की है। इस संबंध में अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी दिनांक 08.02.2019, हल्का पटवारी नगला बीधौरा के बयान खसरा परिवर्तनशील (पी-14) से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्त द्वारा

पश्चातवर्ती अतिक्रमण किया गया था। अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम 1956 की विधिवत तामील अपीलान्ट को हो चुकी थी। फसल नीलामी कार्यवाही की गौका रिपोर्ट से स्पष्ट है कि विवादित आराजी पर अपीलान्ट को वेदखल कर खड़ी फसल को कब्जेराज लिया गया तथा नीलामी की कार्यवाही अमल में लाई गई। अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर की पत्रावली की आदेशिका दिनांक 20.07.2020 के अनुसार विवादित आराजी पर से अपीलान्ट द्वारा अतिक्रमण हटा लिया गया है। उक्त तथ्यों के आलोक में न्यायालय के मत में चूंकि वर्तमान में आराजी पर अपीलान्ट का कब्जा शेष नहीं रहा। तदनुसार सहानुभूतिपूर्वक विचार करते हुये अपील आंशिक रवीकार किया जाना न्यायोचित है।

6. अतः अपील अपीलान्ट आंशिक रवीकार की जाती है। अपीलान्ट को निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार कंचनपुर के यहाँ विवादित आराजी पर भविष्य में अतिक्रमण न किये जाने का शपथ पत्र प्रस्तुत करेगा। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 19.02.2019 में उल्लेखित 1 माह के सिविल कारावास के दण्डादेश को निरस्त किया जाता है। शेष आदेश बदस्तूर रहेगा। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर वाद तकमील नियमानुसार दाखिल दफ़तर हो।
7. निर्णय आज दिनांक 22.06.2023 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

  
(अखिलेश कुमार पिपल)  
अतिरिक्त संभागीय आयुक्त  
भरतपुर